न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 9/ 2019 जिला सीकर

बलवीर पुत्र श्री आनन्दी लाल, जाति बलाई, निवासी वार्ड नम्बर 24, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र श्री सुरजाराम दोहिता भूर देवी, जाति बलाई, निवासी आभावास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
2. रामगोपाल पुत्र श्री झाबरमल दोहिता भूरी देवी, जाति बलाई निवासी नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुंनू ।

मुख्य रेस्पोंडेन्ट्स

3. गोपाल पुत्र श्री आनन्दी लाल
4. गिरधारी लाल पुत्र श्री आनन्दी लाल
5. श्रवण कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र
6. चौथू राम पुत्र श्री रामचन्द्र
   जाति बलाई, निवासियान वार्ड नम्बर 24, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर , जिला सीकर ।
7. तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
8. कालू राम पुत्र स्व. श्री नानगराम, निवासी ग्रम जैतुसर गुढा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
9. अर्जुन पुत्र स्व. श्री कुशलाराम, निवासी जैतुसर गुढा तहसील श्रीमाधोपुर ।
10. भगुराम पुत्र स्व. श्री गुल्ला राम, निवासीग्रम आभावास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
11. कैलाश पुत्र स्व. श्री गुल्ला राम, निवासी ग्रम आभावास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
12. राकेश पुत्र स्व. पूरण निवासी जैतुसर गुढा, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
13. गीता पत्नी श्री धुडा राम पुत्री भूरी देवी दोहित डालू , निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल निवासी मकान नम्बर 58 रामा राजपुरा, रांकडी, जयपुर ।
14. शंकर लाल पुत्र श्री कुरडा राम उर्फ नागर मल
15. सजना देवी पत्नी श्री कुरडा राम उर्फ नागर मल
16. सरबती देवी पुत्री श्री कुरडा राम उर्फ नागर मल
17. सीता देवी पुत्री श्री कुरडा राम उर्फ नागर मल
    समस्त जाति बलाई, समस्त निवासी भादवासी, तहसील व जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 7.2.2019

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री के.के. पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट्स श्री विजय कुमार, श्री रवि कुमार, श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा, श्री अशोक अवस्थी एवं श्री हर लाल सिंह

निर्णय

दिनांक – 29.7.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 7.2.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2061, 2070 से 2074 कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार डालू, सेवा पि. माना हिस्सा 2/3 एवं हीरा पुत्र रतना बलाई हिस्सा 1/3 थे । उक्त खातेदारों में से डालू पुत्र माना एवं हीरा पुत्र रतना के फौत होने पर उनकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 21 पटवारी हल्का द्वारा सेवा पुत्र माना के नाम भरा गया जिसे गाम पंचायत द्वारा दिनांक 8.5.1959 को सेवा पुत्र माना के नाम स्वीकार किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 21 दिनांक 8.5.1959 से व्यथित होकर मु. भूरी पुत्री डालू राम बलाई द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की , जो उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 31.12.1996 द्वारा न्याय की दृष्टि से प्रकरण की जॉच करवाया जाना उचित समझते हुये नामांतरकरण संख्या 21 ग्रम रींगस को निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण के तथ्यों की जॉच की जाकर दोनों पक्षों को सुनकर नामांतरकरण की कार्यवाही की जावे ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 31.12.1996 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने पक्षकारों को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.2.2019 पारित किया कि " ग्रम रींगस के पुराने नामांतरकरण संख्या 21 में मृतक खातेदार डालू पुत्र माना हिस्सा 1/3 एवं हीरा पुत्र रतना हिस्सा 1/3 के फौत होने पर जरिये विरासत सम्पूर्ण खातेदारी सेवा पुत्र माना कौम बलाई के नाम दर्ज की गई है । जबकि डालू के भूरी पुत्री डालू जाति बलाई वारिस थी तथा हीरा के कुशाल, नानक, नाथू पुत्रगण हीरा एवं जैती, सुणी, गुमानी पुत्रियॉ हीराला , जाति बलाई वारिस थी । इस प्रकार ग्रम पंचायत रींगस द्वारा वारिसान के नामांतरकरण में वारिसों को दर्ज न कर अन्य खातेदार को वारिस बनाया है, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है । मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण स्वीकार होना चाहिये था । माननीय न्यायालय द्वारा भी विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज नहीं होने से नामांतरकरण संख्या 21 खारिज किया है । अतः ग्रम रींगस के पुराने खसरा नम्बर 2061, 2070 से 74 किता 6 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 4650/1, 4651/1, 4652, 5353, 5356/1, 5373, 5374, 5422 से 27 कुल किता 13 रकबा 2.80 हैक्टेयर में डालू पुत्र माना हिस्सा 1/3 व हीरा पुत्र रतना हिस्सा 1/3 में मृतक खातेदारों के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/3 तथा शेष वर्तमान में दर्ज अप्रार्थीगण का हिस्सा 2/3 हजफ किया जावे तथा पालना हेतु पटवारी हल्का रींगस को तहरीर जारी हो ।"

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 7.2.2019 से व्यथित होकर अपीलांट बलवीर पुत्र श्री आनन्दी लाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधिन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर , जिला सीकर दिनांक 7.2.2019 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 26.7.18 के अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार करने का कथन अंकित किया है जबकि उक्त दिनांक या उसके

पूर्व या पश्चात् मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की थी क्योंकि मौके पर रेस्पोंडेन्ट्स का कब्जा नहीं है और ना ही उक्त भूमि से उनका कोई सम्बन्ध है । प्रश्नगत नामांतरकरण की अपील उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को भूरी द्वारा की गई थी जिसके निस्तारण से पूर्व दिनांक 16.12.91 को एक इकरारनामा अपीलान्ट के पिता के पक्ष में लिखकर दिया था कि जो अपील की है वह दीगर लोगों के बहकावे में आकर प्रस्तुत की थी जिसे इकरारनामें के अनुसार खारिज माना जावे , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 7.2.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया है , क्योंकि उक्त दिनांक को अधिवक्ताओं की हडताल होने से कार्य का बहिष्कार किया गया था । उनका कहना था कि हीरा पुत्र रतना का जो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसनामा प्रस्तुत किया है वह हीरा को ग्रम गुढा जैतुसर का निवासी बताकर प्रस्तुत किया है जबकि हीरा स्वयं गुरार गॉव का निवासी था उसका गुढ जैतुसर से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं था । गुमानी पुत्री हीरा ने जो वारिस शपथ पत्र पेश किया है वह दिनांक 7.5.18 का है जबकि प्रकरण में सुनवाई ही दिनांक 18.6.18 से चालू की गई है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व कोई साक्ष्य व सबूत का अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पोंडेन्ट्स को लाभान्वित करने की दृष्टि से प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गोर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार डालू , सेवा पुत्रान माना एवं हीरा पुत्र रतना थे जिनमें से डालू पुत्र माना व हीरा पुत्र रतना फौत हो गये । मृतक खातेदार डालू के एक पुत्री भूरी देवी थी एवं मृतक खातेदार हीरा पुत्र रतना के कुशाल, नानक, नाथू पुत्रान एवं जैती, सूणी, गुमानी पुत्रियॉ थी , लेकिन मृतक खातेदार डालू व हीरा की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 21 ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 8.5.59 को मृतकों के विधिक वारिसान पुत्र एवं पुत्रियों को छोडते हुये केवल डालू के भाई सेवा के नाम तस्दीक कर दिया , जो किसी भी दृष्टि से विधिक नहीं था । मृतक खातेदारों के पुत्र एवं पुत्रियॉ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक वारिस हैं एवं अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ भूरी पुत्री डालू की अपील निर्णय दिनांक 31.12.96 द्वारा स्वीकार कर नामांतकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की थी जिसकी अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.2.2019 द्वारा मृतक खातेदादर डालू की पुत्री भूरी को डालू की वारिस तथा मृतक खातेदार हीरा के पुत्रान कुशाल, नानक, नाथू एवं पुत्रियॉ जैती, सुणी, गुमानी को हीरा की वारिस माना है । ग्रम पंचायत रींगस द्वारा मृतक खातेदारों की विरासत के नामांतरकरण में वारिसों को दर्ज न कर अन्य खातेदार को वारिस बनाया है , जिसे कानूनी रूप से सही नहीं माना है। मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण स्वीकार होना मानते हुये माननीय न्यायालय द्वारा भी विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज नहीं होने से नामांतरकरण संख्या 21 खारिज किया जाकर ग्रम रींगस के पुराने खसरा नम्बर 2061, 2070 से 74 किता 6 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये खसरा नमबर 4650/1, 4651/1, 4652, 5353, 5356/1, 5373, 5374, 5422 से 27 कुल किता 13 रकबा 2.80 हैक्टेयर में डालू पुत्र माना हिस्सा 1/3 व हीरा पुत्र रतना हिस्सा 1/3 में मृतक खातेदारों के विधिक वारिसान के नाम

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

नामांतरकरण दर्ज किये जाने तथा अप्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/3 तथा शेष वर्तमान में दर्ज अप्रार्थीगण का हिस्सा 2/3 हजफ किये जाने का आदेश पारित किया है । उनका कहना था कि अपीलान्ट का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है तथा न ही वे मृतक खातेदारों के वारिसान में कहीं आते हैं । यदि अपीलान्ट विवादित भूमि में किसी तरह से अपना कोई हक बनना मानते हैं तो उन्हे अपने हक हकूक तय कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी होगी । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । प्रकरण मृतक खातदोर डालू व हीरा की विरासत का है जिसमें अपीलान्ट का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने मृतक खातेदारों की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में मृतक खतेदारों के पुत्र एवं पुत्रियों के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारो के मध्य विवाद विवादित भूमि के मृतक खातेदार डालू व हीरा की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में है । मृतक खातेदार डालू व हीरा के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 21 ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 8.5.59 को मृतक डालू के भाई सेवा पुत्र माना के नाम तस्दीक कर दिया । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स की आपत्ति है कि मृतक खातेदार डालू व हीरा के विधिक वारिसान उनके जायन्दा पुत्र एवं पुत्रियॅा हैं, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक वारिसान है, जिन्हें ग्रम पंचायत द्वारा छोड कर प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ मृतक खातेदार डालू की पुत्री भूरी की अपील उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 31.12.1996 द्वारा न्याय की दृष्टि से प्रकरण की जॉच करवाया जाना उचित समझते हुये नामांतरकरण संख्या 21 ग्रम रींगस को निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण के तथ्यों की जॉच की जाकर दोनों पक्षों को सुनकर नामांतरकरण की कार्यवाही की जावे । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 31.12.1996 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.2.2019 पारित किया कि " ग्रम रींगस के पुराने नामांतरकरण संख्या 21 में मृतक खातेदार डालू पुत्र माना हिस्सा 1/3 एवं हीरा पुत्र रतना हिस्सा 1/3 के फौत होने पर जरिये विरासत सम्पूर्ण खातेदारी सेवा पुत्र माना कौम बलाई के नाम दर्ज की गई है ।.जबकि डालू के भूरी पुत्री डालू जाति बलाई वारिस थी तथा हीरा के कुशाल, नानक, नाथू पुत्रगण हीरा एवं जैती, सुणी, गुमानी पुत्रियॅा हीराला , जाति बलाई वारिस थी । इस प्रकार ग्रम पंचायत रींगस द्वारा वारिसान के नामांतरकरण में वारिसों को दर्ज न कर अन्य खातेदार को वारिस बनाया है, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है । मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण स्वीकार होना चाहिये था । माननीय न्यायालय द्वारा भी विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज नहीं होने से नामांतरकरण संख्या 21 खारिज किया है । अतः ग्रम रींगस के पुराने खसरा नम्बर 2061, 2070 से 74 किता 6 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 4650/1, 4651/1, 4652, 5353, 5356/1, 5373, 5374, 5422 से 27 कुल किता 13 रकबा 2.80 हैक्टेयर मे डालू पुत्र माना हिस्सा 1/3 व हीरा पुत्र रतना हिस्सा 1/3 में मृतक खातेदारों के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/3

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथा शेष वर्तमान में दर्ज अप्रार्थीगण का हिस्सा 2/3 हजफ किया जावे तथा पालना हेतु पटवारी हल्का रींगस को तहरीर जारी हो ।"

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुने बिना ही केवल पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर पारित किया है । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ भूरी देवी पुत्री डालूराम की अपील में उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने भी अपने आदेश दिनांक 31.12.1996 द्वारा नामांतरकरण संख्या 21 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि प्रकरण के तथ्यों की जॉच की जाकर दोनों पक्षों को सुनकर नामांतरकरण की कार्यवाही की जावे । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त आदेश द्वारा दिये निर्देशों की अक्षरक्षः पालना नहीं की । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पक्षकारों को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उप खण्ड अधिकारी के आदेश की अक्षरक्षः पालना नहीं करने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर दिनांक 7.2.2019 को उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 31.12.1996 की पालना में उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 7.2.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 31.12.1996 की पालना में उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है साथ ही नामांतरकरण का प्रकरण काफी पुराना होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का निस्तारण अवधि तीन माह में किया जाना सुनिश्चित करें ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर